In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No ..... , Dated ..... for general information

Government of Uttarakhand
Industrial Development Section-2
No- 142 VII-A-2/2022/10-SIIDCUL/2020
DEHRADUN: Dated 29 March,2022

Notification

In order to attract investment in Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) sector with a view to promote the growth of Electronics Manufacturing with a vision of a self-reliant nation, the Revised Electronics Manufacturing Cluster (EMC 2.0) scheme was launched by the Ministry of Electronics and Informationn Technology, Government of India vide notification number 86 dated 01.04.2020.

2. Approximately 133.82 acres land of Industrial Development Department in Kashipur, Integrated Industrial Estate in Udham Singh Nagar district, and in the State has been identified for the said scheme. SIIDCUL has been designated as Project Implementation Agency (PIA) vide Notification No. Government 586/VII-A-2/2021-10-SIIDCUL/2020, dated 21.01.2021 for establishment of Electronics Manufacturing Cluster (EMC). Notification No. of Government of India 86CG-DL-E-01042020 Para-2 (iv) dated 01.04.2020 mentions that the proposed land parcel should be in possession of PIA and should preferably be contiguous (adjacent).

3. Letter no. of Managing Director, SIIDCUL- 246/PR/2021 dated 07.06.2021 has been informed that for the establishment of EMC, 102 acres land of village Dohari Vakil in Kashipur and 31.82 acres of land Pachchawala i.e. total 133.82 acres land total land has been selected. The proposed land had been transferred to the Industrial Development Department by the Revenue Department vide notification no.- 585/18(1)/2006, dated 18.08.2006. Therefore, a request has been made to transfer 133.82 acres land to SIIDCUL for the said project.

4. Therefore, after due consideration, the Governor hereby pleased to allow the establishment of EMC, subject to the following conditions -

(i) In lieu of the proposed 133.82 acres land, the amount of purchase appraisal amount of Rs 26.05 crore from SIIDCUL/PIA shall be made available to the State Government.
(ii) The land in question is owned by the Industrial Development Department. No financial burden is likely to be identify thereupon. Therefore, before sending the proposal to the Government of India for the establishment of EMC, consent is given to transfer 133.82 acres land of Integrated Industrial Estate Kashipur to SIIDCUL (PIA) on the basis of possession.
(iii) After this transfer, any known officer of SIIDCUL should be nominated as the nodal officer for the required amount, who shall contact the nodal officer of the Finance Department (in the related subject) and shall favour the side of the finance department relative to the request of the finance department shall settle the matter soon. A time limit of two months has also been fixed for this. The Managing Director, SIIDCUL is directed to make the proposal available at the earliest in this regard.

Cont.....2-

(iv) In no case the land shall be used for Collateral Security.
(v) After completion of the project period, said land under other land of SIIDCUL first right shall be of the State Government.

The said notification shall come into force at once.

(R.Meenakshi Sundaram)
Secretary

No. 142 (1) /VII-A-2/2021/10-SIIDCUL/2020 Dated

Copy sent to the following for information and necessary action:

1. Principal Private Secretary, Hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand.
2. Principal Private Secretary, Hon'ble Industrial Development Minister, Government of Uttarakhand.
3. Principal Private Secretary, Chief Secretary, Government of Uttarakhand.
4. Secretary, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Department of Heavy Industries, Industries Delhi.
5. Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, New Delhi.
6. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Revenue Department / Finance / Information and Technology,Government of Uttarakhand.
7. Commissioner Garhwal Mandal, Pauri.
8. District Magistrate Haridwar Uttarakhand.
9 Director General / Commissioner Industries, Directorate of Industries, Uttarakhand, Dehradun.
10 Managing Director, SIIDCUL, Uttarakhand, Dehradun.
11. The Director, Government Press, Roorkee, with the request that Kindly publish 2. of the said notification in the upcoming government gazette.
12. Director, NIC Dehradun.
13. Guard file.

By Order,

(Umesh Narain Pandey)
Additional Secretary

No. 142 (1) /VII-A-2/2021/10-SIIDCUL/2020 Dated

Copy sent to the following for information and necessary action:

1. Commissioner Kumaoun Mandal, Nainital.
2. District Magistrate, Udham Singh Nagar, Uttarakhand.
3. Guard file.

By Order,

(Rajendra Singh Bisht)
Deputy Secretary

E:UO-Letter/2021

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या : /VII-A–2/2022/10–सिडकुल/2020
देहरादून :दिनांक 29 मार्च, 2022

अधिसूचना

आत्मनिर्भर राष्ट्र की परिकल्पना के साथ इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–86,दिनांक 01.04.2020 द्वारा संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना प्रारम्भ की गयी।

2. राज्यान्तर्गत जिला उधमसिंहनगर में एकीकृत औद्योगिक आस्थान, काशीपुर में औद्योगिक विकास विभाग की लगभग 133.82 एकड़ भूमि, उक्त योजना हेतु चिन्हित की गयी है। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर(इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर) की स्थापना हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–586/VII–A–2/2021–10–सिडकुल/2020, दिनांक 21.01.2021 द्वारा सिडकुल को परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (पीआईए) नामित किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–86, सी.जी.–डी.एल.–अ.–01042020–218991, दिनांक 01.04.2020 के प्रस्तर–2(iv) में उल्लेख है कि प्रस्तावित भूमि पार्सल पीआईए के कब्जे में होनी चाहिए और अधिमानतः संनिहित (आस–पास) ही होना चाहिए।

3. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल के पत्र संख्या–246/प्र0नि0/2021,दिनांक 07.06.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) की स्थापना हेतु औद्योगिक आस्थान काशीपुर में ग्राम दोहरी वकील की 102 एकड़ भूमि तथा पच्चावाला की 31.82 एकड़ भूमि अर्थात कुल 133.82 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। प्रस्तावित भूमि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–585/18(1)/2006, दिनांक 18.08.2006 के द्वारा औद्योगिक विकास विभाग को हस्तांतरित की गयी थी। अतः उक्त परियोजना हेतु 133.82 एकड़ भूमि सिडकुल को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

4. अतएव, श्री राज्यपाल, सम्यकविचारोपरान्त इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ई0एम0सी0 2.0) की स्थापना हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(एक) प्रस्तावित 133.82 एकड़ भूमि की एवज में हस्तांतरण सिडकुल/पीआईए से क्रय मूल्यांकन की धनराशि रू0 26.05 करोड़ राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(दो) प्रश्नगत भूमि औद्योगिक विकास विभाग के स्वामित्व में है। जिस पर कोई वित्तीय भार परिलक्षित होने की सम्भावना नहीं है। अतः इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) की स्थापना हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के पूर्व एकीकृत औद्योगिक आस्थान काशीपुर की 133.82 एकड़ भूमि सिडकुल/पीआईए को कब्जे के आधार पर हस्तांतरित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

क्रमशः 2 पर

(तीन) इस हस्तांतरण के उपरान्त, इस हस्तांतरण के सापेक्ष आवश्यक धनराशि हेतु सिडकुल के किसी भिन्न अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये जो वित्त विभाग के (सम्बन्धित विषय में) नोडल अधिकारी से संपर्क कर वित्त विभाग की पृच्छा के सापेक्ष सिडकुल का पक्ष रखेगा एवं प्रकरण का जल्द निस्तारण करेगा। इस हेतु 2 माह की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल को यथाशीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(चार) किसी भी दशा में भूमि का उपयोग संपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) हेतु नहीं किया जायेगा।

(पांच) परियोजना अवधि (Project Period) के समापन (Completion) के बाद सिडकुल (SIIDCUL) के अन्य भूमि के तहत उक्त भूमि का प्राथमिक अधिकार (First Right) राज्य सरकार का होगा।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः 117 (1)/VII-A-2/2021/10–सिडकुल/2020, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग/वित्त/सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां आगामी सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव

E:UO-Letter/2021

संख्याः 142 (1)/VII–A–2/2021/10–सिडकुल/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
2. जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव